न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **112/2019** दायर दिनाँक **10.04.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष निवासी खाखोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गोपालराम पुत्र कालुराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी खाखोली तह. डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील वादी

दिनाँक **06.08.2021**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 768/1079, खसरा नम्बर 765, खसरा नम्बर 766, खसरा नम्बर 767 व खसरा नम्बर 768/1080 ग्राम अलखपुरा, पटवार क्षैत्र अलखपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा हो चुका है तथा अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा अलग—अलग रहते व खाते कमाते है। वादी के बंट व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 768/1079 व खसरा नम्बर 765, 766 को प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के बंट में आये नक्शे में दर्शित कर दिया है। जिससे कि वादी के बंट में आये खसरा नम्बर 765 व 766 को वादी के नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 768/1079 के नक्शे में दर्शित करने हेतु वाद पेश किया है।

प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है—

कि दावी डिक्री बहक वादी एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वाद में उपरोक्ता वर्णितानुसार खसरा नम्बरान के राजस्व नक्शे में वादी के तीनों खसरा नम्बर एक ही चक में वादी के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। ... वादी ओमप्रकाश पुत्र कालुराम ने शपथ पत्र पेश ... डीडवाना के पत्रांक 255 दिनांक 10.03.2021 के ... प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे अनुसार खेत खसरा नम्बर 768/1079, खसरा 765 व खसरा 766 तीनो खसरा को एक चक में कर ऱाजस्व रिकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद अलखपुरा के खेत खसरा नम्बर 768/1079, खसरा 765 व खसरा 766 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार तीनो खसरा को एक चक में कर राजस्व रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.08.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **112/2019** दायर दिनाँक **10.04.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष निवासी खाखोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गोपालराम पुत्र कालुराम उम्र 52 वर्ष जाति जाट निवासी खाखोली तह. डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **06.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्र पुरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद अलखपुरा के खेत खसरा नम्बर 768/1079, खसरा 765 व खसरा 766 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार तीनो खसरा को एक चक में कर राजस्व रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन [illegible] चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner